Email 1

ईमेल

राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड
मसूरी बाईपास रिंग रोड, लाडपुर, देहरादून पिन : 248001
Email: crc.ddn99@gmail.com, दूरभाष: 0135--2669415, फैक्स : 2669384

पत्रांक : 2467 / 6-8 / 2022-23 / से.अधि. दिनांक : 05 अगस्त, 2022

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

विषयः— अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्रों पर उनकी वैधता अवधि अंकित न किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 648 / 18(1) / 2022-06(09)2.021, दिनांक 26 जुलाई, 2022(छाया प्रति संलग्न) के द्वारा सचिव, उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, देहरादून के पत्र संख्या 158 / अ0पि0व0आ0 / शि0आ0-27, दिनांक 30 जून, 2022 व शासनादेश संख्या 310 / 17-2 / 16-2, दिनांक 26 फरवरी, 2016 की प्रति संलग्न करते हुए निर्देशित किया गया है कि मा0 आयोग द्वारा शिकायतकर्ता मो0 आरिक के शिकायती प्रकरण पर सुनवाई करते हुए राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन, समाज कल्याण विभाग अनुभाग-2, देहरादून के शासनादेश संख्या 310 दिनांक 26-10-2016 में निहित प्राविधानों के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्रों की वैधता अवधि 03 वर्ष अंकित किये जाने के निर्देश हैं।

जैसा कि आप विज्ञ ही हैं कि वर्तमान में अपणि सरकार पोर्टल के माध्यम से राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों / आवेदकों को अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र निर्गत किये जा रहे हैं। अपणि सरकार पोर्टल पर अपलोड प्रमाण पत्र के प्रारूप में वैधता अवधि 3 वर्ष अंकित किये जाने के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों / आवेदकों को 3 वर्ष की अवधि के लिए ही प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार भारत सरकार की सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों द्वारा आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से भी शासन द्वारा निर्धारित अन्य पिछड़ा वर्ग जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप भी अपणि सरकार पोर्टल पर अपलोड किया गया है, जिसमें वैधता अवधि अंकित नहीं है।

शासन के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 26 जुलाई, 2022 के साथ प्रा। समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 310 दिनांक 26 फरवरी, 2016 (जो समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड को सम्बोधित है)में उल्लिखित निम्नांकित शर्तों / प्रतिबन्धों के अन्तर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र की वैधता अवधि प्रमाण पत्र निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष तक मान्य होगी।

(1) अन्य पिछड़ा वर्ग जाति प्रमाण पत्र प्राप्ति हेतु आवेदनकर्ता गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर (नोटरीयुक्त) इस आशय का शपथ पत्र सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा कि आवेदनकर्ता कीमीलेयर की श्रेणी में नहीं आता है तथा अपनी आय के सम्बन्ध में

उक्तानुसार शपथ पत्र प्रतिवर्ष सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा कि उसकी आय कितनी है।

(2) सक्षम प्राधिकारी सम्बन्धित व्यक्ति के कीमीलेयर हेतु निर्धारित आय से अधिक होने पर आवेदक के प्रमाण पत्र को निरस्त कर देगा।

(3) आवेदक द्वारा प्रमाण पत्र धोखे से या गलत बयानी या तथ्यों को छुपाकर या किसी अन्य कारण से प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में यह प्रमाण पत्र अवैध घोषित किया जायेगा तथा आवेदक द्वारा प्राप्त किया गया लाभ वापस ले लिया जायेगा। आवेदक के विरूद्ध तथ्यों की गलत बयानी के लिए तथा दोषी जिम्मेदार अधिकारी /कर्मचारी यदि हों, के विरूद्ध फौजदारी मुकदमा दर्ज कराया जायेगा।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के पत्र संख्या 648/18(1)2022–06(9) दिनांक 26 जुलाई, 2022 व पत्र के साथ संलग्न प्राप्त सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के शासनादेश संख्या 310 दिनांक 26 फरवरी, 2016 के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु शासनादेशानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित प्राधिकृत अधिकारियों/ तहसीलदारान को अपने स्तर से आवश्यक निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(चन्द्रेश कुमार)
आयुक्त एवं सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव/निदेशक,सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तराखण्ड शासन,(आई.टी.डी.ए.) देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र शासनादेशानुसार 03 वर्ष के लिए निर्गत किये जाने व आवेदकों से शासनादेशानुसार शपथ पत्र लिए जाने के संबंध में अपणि सरकार पोर्टल में आवश्यक संशोधन/प्राविधान कराने का कष्ट करें।
2. सचिव, उत्तराखण्ड शासन, राजस्व विभाग अनुभाग–1, देहरादून।
3. सचिव, उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, देहरादून।
4. सचिव, आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमायूँ मण्डल नैनीताल।
5. गार्ड फाईल/विभागीय वेबसाईट।

आयुक्त एवं सचिव
राजस्व परिषद।

पं० 08 क्रमांक 630 दि० 28/07/2022

संख्या– 648 /XVIII(1)/2022-06(9)/2021

प्रेषक,

डॉ0 आनन्द श्रीवास्तव,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

राजस्व अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांकः 26 जुलाई, 2022

विषय– अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्रों पर उनकी वैधता अवधि अंकित न किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, देहरादून के पत्र संख्या–158, दिनांक 30 जून, 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 आयोग के माध्यम से शिकायतकर्ता मो0 आशिक के शिकायती प्रकरण पर सुनवाई करते हुए राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन को समाज कल्याण अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–310, दिनांक 26.10.2016 में निहित प्राविधानों के अनुसार अन्य पिछड़े वर्ग के जाति प्रमाण पत्रों की वैधता अवधि 03 वर्ष अंकित किये जाने के निर्देश दिये गये थे, परन्तु न हो पाने के कारण शिकायतकर्ता मो0 आशिक, निवासी शिमला वाईपास मेहुँवाला माफी, देहरादून द्वारा उक्त प्रकरण पर पुनः मा0 आयोग के समक्ष शिकायत प्रस्तुत करते हुए उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि राजस्व विभाग द्वारा निर्गत किये जा रहे अन्य पिछड़े वर्ग की जाति प्रमाण पत्रों पर उनकी वैधता अवधि 03 वर्ष आज भी अंकित नही की जा रही हैं, जो कि मा0 आयोग के आदेश संख्या–241, दिनांक 21.08.2021 की अवमानना है।

2– अतः इस संबंध में सचिव, उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पत्र संख्या–158, दिनांक 30 जून, 2022 की छायाप्रति संलग्नकों सहित प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण पर समाज कल्याण अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–310, दिनांक 26.02.2016 में निहित प्राविधानों के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों के जाति प्रमाण पत्रों पर उनकी वैधता अवधि 03 वर्ष अनिवार्य रूप से करते हुए कृत कार्यवाही से मा0 उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग एवं शासन को यथाशीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि ।

भवदीय,

(डॉ0 आनन्द श्रीवास्तव)
अपर सचिव

संख्या– (1) / XVIII(1)/2021-06(9)/2021 एवं तददिनांकित।

प्रतिलिपि– 1. सचिव, उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, देहरादून को उनके पत्र दिनांक 30 जून, 2022 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. मो0 आशिक, निवासी शिमला वाईपास मेहुँवाला माफी, नया नगर, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

(डॉ0 आनन्द श्रीवास्तव)
अपर सचिव।

shikayt 2022

अल्पसंख्यक कल्याण भवन, शहीद भगत सिंह कॉलोनी, निकट एम.डी.डी.ए. कॉलोनी, डालनवाला, देहरादून
Email-obcuttarakhand@gmail.com
☎ 0135–2781575

उत्तराखण्ड सरकार

उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, देहरादून

(उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 2003 के अधीन गठित एक संवैधानिक निकाय)

पत्रांकः— 158 / अ0पि0व0आ0 / शि0आ0—27 / 2021—22 दिनांक 30 जून, 2022

सेवा में,

सचिव
राजस्व विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

विषयः— **अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्रों पर उनकी वैधता अवधि अंकित किये जानें के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयांकित प्रकरण के सम्बन्ध में मा0 आयोग के आदेश सं0 241 / अ0पि0व0आ0 / शि0आ0—27 / 2021—22 दिनांक 21 अगस्त 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें मा0 आयोग द्वारा शिकायतकर्ता मो0 आशिक के शिकायती प्रकरण पर सुनवाई करते हुए सचिव, राजस्व विभाग उत्तराखण्ड शासन को समाज कल्याण अनुभाग—2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0 310 दिनांक 26.02.2016 में निहित प्राविधानों के अनुसार अन्य पिछड़ें वर्ग के जाति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि तीन वर्ष अंकित कराये जाने के निर्देश दिये गये थे। शिकायतकर्ता मो0 आशिक, निवासी शिमला बाईपास रोड, मेहूँवाला माफी, नया नगर देहरादून द्वारा उक्त प्रकरण पर पुनः मा0 आयोग को शिकायती पत्र प्रेषित किया गया है जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा उल्लेख किया गया है कि राजस्व विभाग द्वारा निर्गत किये जा रहे अन्य पिछड़े वर्ग के जाति प्रमाण पत्रों पर उनकी वैधता अवधि तीन वर्ष आज भी अंकित नहीं की जा रही है, जो कि मा0 आयोग के आदेश सं0 241 दिनांक 21.08.2021 की अवमानना है।

(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)
सचिव (प्रभारी)
राजस्व विभाग
उत्तराखण्ड शासन

इस संबंध में मा0 आयोग द्वारा मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया मा0 आयोग के आदेश सं0 241 / अ0पि0व0आ0 / शि0आ0—27 / 2021—22 दिनांक 21 अगस्त 2021 में प्रदत्त निर्देशानुसार समाज कल्याण अनुभाग—2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0 310 दिनांक 26.02.2016 के अंतर्गत राजस्व विभाग द्वारा निर्गत किये जाने अन्य पिछड़ें वर्ग के जाति प्रमाण पत्रो पर उनकी वैधता अवधि तीन वर्ष का अनिवार्य रूप से अंकन करवाना शत्–प्रतिशत सुनिश्चित किया जाएं एवं कृत कार्यावाही से मा0 आयोग एवं शिकायतकर्ता को भी अवगत कराया जायें। **उल्लेखनीय है कि उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 18 के अन्तर्गत मा0 आयोग के निर्देशों / आदेशों की अवहेलना करना भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 174, 175, 176, 178, 179 व 180 के अन्तर्गत दण्डनीय है।**

संलग्नकः— यथोपरि।

भवदीय
30/06/22
सचिव
उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि : मो0 आशिक, निवासी शिमला बाईपास रोड, मेहूँवाला माफी, नया नगर देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव
उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग

(4/5)

सेवा में,

माननीया अध्यक्षा महोदया,

अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग,

उत्तराखण्ड।

सचिव
अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग
उत्तराखण्ड देहरादून

46
26-04-22

विषयः— माननीय आयोग के आदेश की अवमानना के सम्बन्ध में शिकायती पत्र।

महोदया,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि मैने दिनांक 27.01.2021 को माननीय आयोग में एक शिकायत दायर की थी। जिसमें मैनें मा0 आयोग से उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जारी किये जाने वाले अन्य पिछडे वर्ग के जाति प्रमाण पत्रों पर उनकी वैधता अंकित किये जाने का अनुरोध किया था। इसी क्रम में माननीय आयोग ने दिनांक 21 अगस्त 2021 को अपने **आदेश संख्या 241 दिनांक 21 अगस्त 2021** (छायाप्रति सलंग्न) में सचिव राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन को अन्य पिछडे वर्ग के जाति प्रमाण पत्रों पर उनकी वैद्यता अंकित करने के आदेश दिये थे। लेकिन माननीय आयोग के आदेश के 6 माह से अधिक समय के बाद भी राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा OBC के जाति प्रमाण पत्रों पर उनकी वैद्यता अंकित नही की जा रही है। जबकि सुनवाई में राजस्व सचिव द्वारा मा0 आयोग को अवगत कराया गया था कि उक्त प्रकरण का निस्तारण दो दिन के भीतर कर दिया जायेगा। परन्तु अभी तक भी माननीय आयोग के उक्त आदेश का पालन नही किया गया। जो कि माननीय आयोग के आदेश की अवमानना है।

अतः महोदया, आप उक्त विषय में शीघ्र ही आवयश्क कार्यावाही कर माननीय आयोग के उक्त आदेश का पालन कराने की कृपा करें। धन्यवाद।

सलंग्नः— उक्त आदेश की छायाप्रति।

दिनांकः— 26 अप्रैल 2022

शिकायतकर्ता

मो0 आशिक

मेहुँवाला माफी, देहरादून।

मो0 नं0— 8755704497

(3/5)

उत्तराखण्ड सरकार

अल्पसंख्यक कल्याण भवन, शहीद भगत सिं
(निकट एम.डी.डी.ए. कॉलोनी), डालनवाला,
टैलीफैक्स – 0135–2
Email-obcuttarakhand@gmail.c

उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, देहरादून

पत्रांक : 241 / अ0पि0व0आ0 / शि0आ0–27 / 2021–22 दिनांक 21 अगस्त, 2021

आदेश

विषय : अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्रों पर उसकी वैधता अवधि अंकित किए जाने के संबंध में।

मो0 आशिक निवासी शिमला बाईपास रोड़, मेहूँवाला माफी, नया नगर, देहरादून का शिकायती पत्र मा0 आयोग को दिनांक 27.01.2021 को प्राप्त हुआ था, जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा उल्लेख किया गया है कि उत्तराखण्ड सरकार द्वारा जारी किये जाने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्रों के ऊपर उनकी वैधता अवधि अंकित नहीं रहती है, जबकि अन्य प्रकार के प्रमाण पत्र जैसे कि आय प्रमाण पत्र के ऊपर उसकी वैधता अवधि छः माह अंकित रहती है। अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि तीन वर्ष है। शिकायतकर्ता द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्रों में उसकी वैधता अविध तीन वर्ष अंकित कराए जाने का अनुरोध मा0 आयोग से किया गया है।

मा0 आयोग ने प्रकरण पर पत्र सं0 426 / अ.पि.व.आ. / शिकायत सं. 27 / 2020–21 दिनांक 04.02.2021 के द्वारा सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन से आख्या मांगी गई थी। सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा मा0 आयोग को प्रकरण पर आख्या उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में दिनांक 27.07.2021 को प्रकरण पर सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई। मा0 अध्यक्ष, उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, देहरादून की अध्यक्षता में दिनांक 27.07.2021 को उक्त प्रकरण पर मा0 आयोग में सुनवाई की कार्यवाही निष्पादित की गई।

सुनवाई में सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन की ओर से उनके प्रतिनिधि के रूप में श्रीमती गीता शरद, अनु सचिव, उत्तराखण्ड शासन एवं शिकायतकर्ता उपस्थित रहे। सर्वप्रथम शिकायतकर्ता का पक्ष सुना गया। सुनवाई में सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि श्रीमती गीता शरद, अनु सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा मा0 आयोग के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए पत्र सं0 1071 / 07(7 / 2021) दिनांक 27.07.2021 के माध्यम से मा0 आयोग को अवगत कराया गया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि 01 वर्ष से बढ़ाकर 03 वर्ष किये जाने के संबंध में दिशा–निर्देश समाज कल्याण, अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0 310 दिनांक 26.2.2016 द्वारा समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड को प्रेषित किया गया था। उक्त निर्गत शासनादेश के अनुसार जनपद स्तर की शिकायतों का निस्तारण जनपद स्तर से निस्तारित किया जाता है। सुनवाई में सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा मा0 आयोग को आश्वस्त किया गया कि दो दिन के भीतर प्रकरण का निस्तारण कर दिया जायेगा।

मा0 आयोग द्वारा सुनवाई में दोनों पक्षों को सुना गया। दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात् मा0 आयोग द्वारा सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि को निर्देश दिए गए कि अन्य पिछड़े वर्गों के जाति प्रमाण पत्रों में उसकी वैधता अवधि अंकित किए जाने के संबंध में उत्तराखण्ड के समस्त जिलाधिकारियों को पुनः निर्देशित करें साथ ही अपने स्तर से निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC), सचिवालय परिसर, देहरादून को भी शासनादेश सं0 310 दिनांक 26.02.2016 में निहित प्राविधानों के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि 03 वर्ष अंकित किये जाने हेतु योग्य प्रपत्रों में उत्पन्न त्रुटि को ठीक कराते हुए संशोधित प्रपत्र अपलोड कराते हुए कृत कार्यवाही से मा0 आयोग को अवगत कराएं।

अतः उक्त आदेश के साथ पत्रावली निक्षेपित कर दाखिल दफ्तर की जाती है। इस आदेश की एक प्रति उभयपक्षों को उपलब्ध करा दी जाए।

डा0 (श्रीमती) कल्पना सैनी
अध्यक्ष,
उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग

संख्या एवं दिनांक यथोक्त

प्रतिलिपि : निम्नांकितों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. मो0 आशिक, निवासी शिमला बाईपास रोड़, मेहूँवाला माफी, नया नगर, देहरादून।

शेखर प्रकाश पटवा
सचिव
उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग

क्र-48 (215)

संख्या: 310 / XVII-2 / 16-02(OBC) / 2012

प्रेषक,

डा0 भूपिन्दर कौर औलख,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

समाज कल्याण अनुभाग-2 देहरादूनः दिनांकः 26 फरवरी, 2016

विषयः अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि 01 वर्ष से 03 वर्ष किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को जारी किये जा रहे प्रमाण-पत्रों की वैधता अवधि के सम्बन्ध में शासनादेश सं0-590/XVII-2/12-05(OBC)/2010 दिनांक 30 मई, 2012 निर्गत किया गया था, जिसके द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्रों की वैधता अवधि प्रमाण पत्र निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष मान्य होगी, व्यवस्था की गयी थी।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के समक्ष अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र बनाये जाने में आ रही समस्याओं के दृष्टिगत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र की वैधता अवधि प्रमाण पत्र निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष तक मान्य होगी, की एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

(i) अन्य पिछड़ा वर्ग जाति प्रमाण पत्र प्राप्ति हेतु आवदेनकर्ता गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर (नोटरी युक्त) इस आशय का शपथ पत्र सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा कि आवेदनकर्ता क्रीमीलेयर की श्रेणी में नहीं आता है तथा अपनी आय के सम्बन्ध में उक्तानुसार शपथ पत्र प्रतिवर्ष सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा कि अब उसकी आय कितनी है।

(ii) सक्षम प्राधिकारी सम्बन्धित व्यक्ति के क्रीमीलेयर हेतु निर्धारित आय से अधिक आय होने पर आवेदक के प्रमाण पत्र को निरस्त कर देगा।

(iii) आवेदक द्वारा प्रमाण पत्र धोखे से या गलत बयानी या तथ्यों को छुपाकर या किसी अन्य कारण से प्राप्त किया गया है, तो ऐसी स्थिति में यह प्रमाण पत्र अवैध घोषित किया जायेगा तथा आवेदक द्वारा प्राप्त किया गया लाभ वापस ले लिया जायेगा। आवेदक के विरूद्ध तथ्यों की गलत बयानी के लिए तथा दोषी जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी यदि हों, के विरूद्ध फौजदारी मुकदमा दर्ज कराया जायेगा।

क्रमशः........

(15)

4. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपदों में प्रमाण पत्र जारी करने हेतु प्राधिकृत अधिकारियों को प्रमाण–पत्र निर्गत करते समय प्रमाण–पत्र की वैधता अवधि का अनिवार्य रूप से अंकन करें।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीया,

(डा0 भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः– 310 / XVII-2 / 16–02(OBC) / 2012 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. वरिष्ठ निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. वरिष्ठ निजी सचिव, मुख्य प्रधान सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. वरिष्ठ निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त, कुमाऊं / गढ़वाल, नैनीताल / पौडी गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, नैनीताल।
8. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. सचिव, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(किशन नाथ)
अपर सचिव।